5-9-19 : पत्रावली पेश. उभयपक्षकारान मय अधिवक्तागण के उपस्थित हुए. दोनो पक्षकारों ने बताया कि उनके मध्य अब कोई विवाद नहीं है. प्रतिवादी ने बताया कि प्रश्नगत भूमि वादीगणों के नाम है. उनका ही कब्जा है. हमने न उसे रोका है, न कब्जा किया है. वादीगण अपनी उक्त प्रश्नगत भूमि का चाहे जो करे. बोये-जोते उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वादीगणों ने इसे स्वीकार किया गया।

प्रश्नगत आराजी ~~क~~ व देवारामगात ख.स.न 43. 46, 126, 141, 143/2, 144, 145, 146, 175 187, 188 एवं 250 कुल कीता 11 रकबा 34 बीघा तीन बिस्वा (संवत 2069-72 खाता सं. 137) भूमि पर वादीगणों व प्रतिवादीगणों के मध्य मौखिक तस्फिया हो जाने से. एवं दोनो पक्षकारों के मध्य मौखिक राजीनामा हो जाने से. वो अब वाद नहीं चलाना चाहते है अतः इस वाद को इसी स्तर पर समाप्त कर निर्णीत किया जाना है कि भविष्य में भी प्रतिवादीगण वादीगणों के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उभयपक्षकार सहमत है अतः वाद को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। तथा ~~उपरांत~~ पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेखागार से जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा मु. धम्बोला